(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्र0क0 2094–दो/2015 विरूध्द आदेश दिनांक 23–4–2015 पारित द्वारा अपर कलेक्टर रतलाम म0प्र0 प्रकरण कमांक स्वमेव निगरानी 02/2014–15.

श्रीमती सुशीलाबाई पति राजकुमार सुराना
निवासी पैलेस रोड़ रतलाम जिला
रतलाम म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

1. म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर
   रतलाम जिला रतलाम म0प्र0
2. अनुविभागीय अधिकारी रतलाम
   शहर जिला रतलाम
3. तहसीलदार रतलाम जिला रतलाम
4. रामा उर्फ अमृतराम पिता वरदा भील
   निवासी ग्राम करमदी तहसील व जिला
   रतलाम म0प्र0

—— अनावेदकगण

– – –

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक – आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्वत, शासकीय पैनल अभिभाषक – अनावेदक 1 से 3

– – –

आदेश

(आज दिनांक 23 जनवरी 2015 को पारित)

– – –

यह निगरानी आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–2015 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी रतलाम ने अपर कलेक्टर रतलाम को एक प्रतिवेदन इस आधार का प्रेषित किया कि ग्राम करमदी स्थित भूमि सर्वे कमांक 133/3 रकबा 0.410 हे0 पूर्व में रामा पिता वरदा आदिवासी के नाम पर रही है तथा धारा 165(6) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत बिना जिलाधीश रतलाम के अनुमति के तथा उक्त भूमि के अंतरण का कोई आदेश पारित किया जाना प्रकट नहीं होने से अन्तरण विधि विरूद्ध है तथा व्यपवर्तन व्यवसायिक प्रयोजन के लिये नहीं किया गया तथा स्वंय निर्माण नहीं किया तथा ग्राम निवेश द्वारा निर्धारित शर्तों का भी सुनिश्चय नहीं किया गया है। अपर कलेक्टर रतलाम ने म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत प्रकरण कमांक 152/अ–2/10–11 में पारित व्यपवर्तन आदेश दिनांक 30–9–2011 में सारवान प्रकिया व प्रावधान अनुसार संतुष्टि के बिना पारित किये जाने के कारण यह मामला स्वमेव निगरानी में लिया गया तथा आवेदक को दिनांक 09–3–2015 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिनांक 19–3–15 तक जबाव अथवा उत्तर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। आवेदक द्वारा दिनांक 13–4–15 को लिखित आपत्ति प्रकरण के प्रचलनशीलता संबंधी अपर कलेक्टर को प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आवेदक के तर्क सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 23–4–15 के द्वारा आवेदक की उक्त आपत्ति तथ्यहीन, प्रमाणहीन एवं दस्तावेजहीन होने से खारिज की गई। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रकरण अनावेदक को सूचना पत्र जारी करने एवं अभिलेख मंगाये जाने हेतु नियत था तथा प्रकरण में पूर्व से स्थगन भी जारी है। तर्क में यह भी कहा कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 4 से भूमि विधिवत रजिस्टर्ड विकय पत्र

के माध्यम से दिनांक 4–9–2012 को कय की थी। उक्त भूमि आवासीय सह व्यवसायिक प्रयोजन हेतु प्रकरण कमांक 152/अ–2/2010–11 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2011 के द्वारा व्यपवर्तित की गई। तहसीलदार रतलाम के प्रकरण कमांक 4/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15–1–13 के द्वारा आवेदक का नाम नामांतरण स्वीकृत हुआ। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस तथ्य पर बिना विचार किये कि प्रश्नाधीन भूमिस्वामी के आदिवासी होने की मानने में गंभीर भूल की है क्योंकि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 165(6) की उपधारा 1 के प्रावधानों की अनुसूची अनुसार रतलाम जिले में मात्र सैलाना तहसील को अनुसूची कमांक 1 में अधिसूचना कमांक एफ पांच–377–384/सात/एन–एफ दिनांक 11–3–1977 के तहत अधिसूचित क्षेत्र की सूची को बिना ध्यान में रखते हुये प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को दिया तथा अपर कलेक्टर द्वारा भी इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने में त्रुटि की है। आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रकरण की प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति निरस्त करने में भी अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि प्रकरण में लिंक पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 8–7–15 को प्रकरण में स्थगन आदेश जारी कर अभिलेख मंगाने एवं अनावेदक को आहूत करने के आदेश दिये गये थे तथा पेशी दिनांक 26–8–15 नियत की गई थी, तत्पश्चात दिनांक 28–10–15 को न्यायालय से पेशी दिनांक 7–1–16 नियत की गई। परन्तु आवेदक द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन देकर प्रकरण में दिनांक 19–11–15 को पुनः प्रकरण लिंक कोर्ट में सुनवाई कराकर तीन माह का स्थगन प्राप्त किया तथा पूर्ववत पेशी दिनांक 7–1–16 नियत की गई। पूर्व से निर्धारित पेशी

के पूर्व ही दिनांक 19–11–15 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन आवेदक द्वारा दिया गया जबकि न तो प्रकरण में क्या अर्जेन्सी थी यह स्पष्ट किया एवं न ही अर्जेन्ट हियरिंग के लिए तिथि निश्चित करने पर अनावेदक को सूचना दे कर उन्हें सुना गया। इसके पश्चात 7–1–16 को एवं दिनांक 8–1–16 को पेशी नियत हुई तथा 8–1–16 को प्रकरण की सुनवाई प्रथमबार स्थाई पीठासीन अधिकारी के समक्ष हुई है। यह भी तर्क दिया कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव नहीं दिया है। आवेदक को जबाव का अवसर उपलब्ध है। इस न्यायालय में निगरानी का कोई औचित्य नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि इस प्रकरण में वास्तव में निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आवेदक को मात्र कारण बताओ सूचना पत्र जारी हुआ है जिसकी सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रकरण में संलग्न है। मूल अभिलेख प्राप्त होने तक प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही अनावश्यक रूप से स्थगित रहेगी। अतः प्रकरण का निराकरण इसी स्तर पर कर दिया जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्कों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन किया। प्रकरण में संलग्न अपर कलेक्टर के अंतरिम आदेश दिनांक 09–3–15 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी रतलाम द्वारा व्यपवर्तन आदेश पारित करने के पश्चात नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निर्धारित शर्तों एवं उपबंधो का पालन संबंधित द्वारा किया गया है अथवा नहीं यह सुनिश्चित नहीं होने एवं आदिवासी व्यक्ति द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन के लिये जो व्यपवर्तन कराया गया है क्या वास्तविकता में वह भवन निर्माण के लिये सक्षम है अथवा नहीं, इन

महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अंदार करते हुये व्यपवर्तन आदेश पारित किया जाना पाते हुये एवं वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी रतलाम के प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में दर्ज कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत न कर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है जबकि आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय में कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखना चाहिए था। अपर कलेक्टर ने आवेदक की प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति को निरस्त की है। आवेदक को अपना जबाव प्रस्तुत करने एवं साक्ष्यों सहित पक्ष समर्थन का अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। आवेदक द्वारा याचिका में वर्णित तथ्य तथा जो तर्क इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं वह उन्हें विधिवत अधीनस्थ न्यायालय में भी प्रस्तुत कर सकता है वहां उसे पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में निगरानी को प्रचलित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय से वर्तमान में आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित नहीं हुआ है जिससे उसके किसी प्रकार के हित प्रभावित होते हों। पूर्व में इस न्यायालया द्वारा अभिलेख मंगाये जाने एवं अनावेदक को सूचना जारी करने के आदेश दिया हैं। अनावेदक कमांक एक शासन पक्ष के तर्क सुने हैं। अनावेदक कमांक दो भूमि का विक्रेता है जो अधीनस्थ न्यायालय में भी यदि चाहे तो पक्षकार बन सकता है। ऐसी स्थिति में इस निगरानी प्रकरण को आगे प्रचलित रखना तथा रिकार्ड बुलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है। याचिकाकर्ता अधीनस्थ न्यायालय में अपना रखने के लिए स्वतंत्र है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश